



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72]
No. 72]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 12, 2003/फाल्गुन 21, 1924
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 12, 2003/PHALGUNA 21, 1924

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2003

सं. एफ. 5(7)-पी.डी./2003.—एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या एफ 16(1)-पी.डी./75 दिनांक 30 जून, 1975 में घोषित गैर-सरकारी भविष्य, अधिवर्षिता तथा उपादान निधियों के लिए विशेष जमा योजना के अधीन की गई जमा राशियों पर 1 अप्रैल, 2003 से तथा अगले आदेशों तक 8 (आठ) प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।

वी. एस. चौहान, उप सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2003

No. F. 5(7)-PD/2003.—It is hereby notified that the deposits made under the Special Deposit Scheme for non-Government Provident, Superannuation and Gratuity Funds, announced in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. F. 16(1)-PD/75 dated 30th June, 1975, shall with effect from 1st April, 2003 and until further orders, bear interest at 8 (eight) per cent per annum.

V. S. CHAUHAN, Dy. Secy. (Budget)